

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10112020-223004 CG-DL-W-10112020-223004

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2020, शनिवार / कार्तिक 10 —कार्तिक 16, 1942 No. 34] NEW DELHI, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2020, SATURDAY/KARTIKA 10— KARTIKA 16, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

(प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ड्रेसर (औषधालय) और घुडसवारी सहायक भर्ती नियम, 2014, को जहां तक कि उनका संबंध ड्रेसर (औषधालय) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,

5188 GI/2020 (1009)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में ड्रेसर (औषधालय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, ड्रेसर (औषधालय), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पध्दित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबध्द करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तयों के लिए आयु-सीमा
				पद	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ड्रेसर (औषधालय)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 3 (21700 - 69100/- रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि

		:0 0
		वह अंतिम तारीख जो असम,
		मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-
		•
		कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के लाहोल
		और स्पीति जिले तथा चम्बा-
		जिले के पांगी उपखंड,
		अंदमान और निकोबार द्वीप
		या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
		लिए विहित की गई है ।)
		टिप्पण 2 :- रोजगार
		कार्यालय के माध्यम से आने
		वाले अभ्यर्थियों की दशा मे
		आयुसीमा अवधारित करने के
		लिए निर्णायक तारीख वह
		अंतिम तारीख होगी जिस
		तक रोजगार कार्यालय से
		नाम भेजने के लिए कहा गया
		है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	व्यक्तियों के लिए	यदि कोई हो	होगी या प्रोन्नति द्वारा या
अर्हताएं	विहित आयु और	-	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा
	शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
	व्यक्तियों की दशा में		जाने वाली रिक्तियों की
	लागू होगी		प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।
विश्वविधालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण			टिप्पण 1: पदधारी के
या समतुल्य अर्हता सहित किसी			प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या
सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल			अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य
से मरहम् पट्टी लगाने का तीन वर्ष का			परिस्थितियों में एक वर्ष इससे
अनुभव हो ।			अधिक अवधि के लिए बाहर
टिप्पण 1 :-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित			रहने के कारण हुई रिक्तियाँ
अभ्यर्थयों की दशा में सक्षम प्राधिकारी			केन्द्रीय सरकार या राज्य
के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती			सरकार के ऐसे अधिकारियों में
है।			से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता			भरी जा सकेंगी जो नियमित
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			आधार पर सदृश पद धारण
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित			किए हुए है और जिनके पास
जनजातियों के अभ्यर्थियो की दशा में			स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती
तब शिथिल की जा सकती है जब चयन			किए जाने वाले व्यक्तियों के
के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी			लिए विहित अर्हताएं हैं।
की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			अवधि, जिसके अंर्तगत केन्द्रीय
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			सरकार उसी या किसी अन्य

अभ्यर्थियो के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित
हान का समायना नहा हा		किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
		प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक
		नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर
		नियुक्ति के लिए अधिकतम
		आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की 'अंतिम तारीख को छप्पन
		वर्ष से अधिक नहीं' होगी ।

•	यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां		परिस्थितियों में संघ
जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्त/		लोक सेवा आयोग से
आमेलन किया जाएगा		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता ।
	जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
	1. उप निदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय	
	प्रशासन अकादमी, मसूरी - अध्यक्ष ;	
	2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय	
	प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य ;	
	3. उप निदेशक या सहायक निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री	
	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य ।	

[फा.सं. टी-21011/3/2019-अका.डेस्क]

बिस्वजीत बैनर्जी,अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

(TRAINING DIVISION)

New Delhi, the 3rd November, 2020

- G.S.R. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie Dresser (Dispensary) and Riding Assistant Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Dresser(Dispensary), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dresser(Dispensary) in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Dresser (Dispensary), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of	Classification	Level in the	Whether	Age-limit for direct recruits
	post		pay matrix	selection post	
				or non-	
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dresser	1* (2020)	General Central	Level – 3 in	Not applicable	Between 18 and 25 years
(Dispensary)		Service, Group	the pay		(Relaxable for Government
	*Subject to	'C', Non-	matrix (Rs.		Servants upto forty years in
	variation	Gazetted,	21700 -		accordance with the
	depended on	Non- Ministerial	69100)		instructions or orders issued by
	work load.				the Central Government)
					Note 1: The crucial date for
					determining the age limit shall
					be the closing date for receipt
					of applications (and not the
					closing date prescribed those
					in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh Division of
					Jammu and Kashmir State,
					Lahul and Spiti District and
					Pangi Sub Division of Chamba
					District of Himachal Pradesh,
					Union Territory of Andaman
					and Nicobar Islands and Union
					Territory of Andaman
					Lakshadweep.
					Note 2: In the case of
					recruitment made through the
					Employment Exchange, the
					crucial date for determining
					the age limit shall be the last
					date upto which the
					Employment Exchange is
					asked to submit the names.

]	Educational	and		other	Whether	age	and	Period	of	Met	thod	of recruitment, whe	ther by
(qualifications	required	for	direct	educationa	ι1		Probation	, if any	dire	ct re	ecruitment or by pro	motion
1	recruits				qualification	ons				or	by	deputation/absorption	n and

	prescribed for direct		percentage of the vacancies to be
	recruits will apply in		filled by various methods
	the case of promotees		
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable	Two years	By direct Recruitment.
12 th class pass or equivalent			Note 1: Vacancies caused by the
qualification from a recognised			incumbent being away on deputation
Board or University with three			or long illness or study leave or
years' experience of dressing of			under other circumstances for
wounds in the Government hospital			duration of one year or more may be
or Private hospital.			filled on deputation from the
Note 1: Qualifications are relaxable			officials of the Central Government
at the discretion of the competent			or State Governments holding
authority in case of candidates			analogous posts on regular basis and
otherwise well qualified.			possessing the qualifications
Note 2: The qualification regarding			prescribed for direct recruits under
experience are relaxable at the			column (7).
discretion of the Competent			Note 2: The period of deputation
Authority in the case of candidates			including the period of deputation in
belonging to the Scheduled Castes			another ex-cadre post held
or Scheduled Tribes, if at any stage			immediately preceding this
of selection of the Competent			appointment in the same or some
Authority is of the opinion that			other organisation or department of
sufficient number of candidates			the Central Government shall
from these communities possessing			ordinarily not exceed three years.
the requisite experience are not			Note 3 : The maximum age-limit for
likely to be available to fill up			appointment by deputation shall be
vacancy reserved for them			'Not exceeding fifty-six years' as on
			the closing date of receipt of
			applications.

In case of recruitment by	If Departmental Promotion Committee exits, what is	Circumstances in which
promotion or deputation/	its Composition	Union Public Service
absorption grades from which		Commission is to be
promotion or deputation/		consulted in making
absorption to be made		recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for	Not applicable.
	considering confirmation) consisting of:-	
	1. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur	
	Shastri National Academy of Administration,	
	Mussoorie – Chairman;	
	2. Chief Medical Officer, Lal Bahadur Shastri	
	National Academy of Administration,	
	Mussoorie – Member;	
	3. Deputy Director or Assistant Director, Lal Bahadur	
	Shastri National Academy of Administration,	
	Mussoorie - Member.	

[F.No. T-21011/3/2019-Acad. Desk]

BISWAJIT BANERJEE, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि.159.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई में विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई,विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक (समृह 'ख' पद)भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रारंभिक गठन.—इन भर्ती नियमों को विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक पद के लिए प्रथम बार विरचित किया गया है। तथापि, इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व नियमित आधार पर उक्त पद धारण किए हुए अधिकारियों द्वारा की गई सेवा को पेंशन, प्रोन्नति, ज्येष्ठता आदि के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा समझा जाएगा।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद परभर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या अचयन	सीधे भर्ती किए
			स्तर	पद	जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विद्युत और	2*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता
यांत्रिक पर्यवेक्षक	(2020)	सेवा, समूह 'ख'	स्तर-6		
	*कार्यभार के	अराजपत्रित,	(35400-		
	आधार पर	(अननुसचिवीय)	112400 रु.)		
	परिवर्तन किया	(अगगुसाचवाय)			
	जा सकता है ।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (12)	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)
प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे तकनीकी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा प्रायोजित सुसंगत विषय में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण:जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रान्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों	समूह 'ख'विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i. उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) - अध्यक्ष ii. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) - सदस्य iii. उपनिदेशक (प्रशासन) - सदस्य iv. निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला -सदस्य	आवश्यक नहीं है ।

सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

> [फा.सं. ए-12018/01/2011-ईपीआई] जी. के. पिल्लई. अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th October, 2020

- **G.S.R. 159.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrical and Mechanical Supervisor in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely:—
- 1. **Short title and commencement.— (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Electrical and Mechanical Supervisor (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Initial constitution.—These recruitment rules for the post of Electrical and Mechanical Supervisor are being framed for the first time. However, the service rendered by the officers holding the said post on a regular basis prior to the notification of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of pension, promotion, seniority etc.
- 3. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

SCHEDULE								
Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay	Whether selection	Age limit for direct			
			matrix	post or non -	recruitments			
				selection				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
Electrical and	2* (2020)	General Central	Level-6, in the	Selection	Not applicable			
Mechanical	*Subject to	Service, Group	pay matrix (Rs.					
Supervisor	variation	'B' Non-	35400-112400)					
	depended on	Ministerial (Non-	ŕ					
	workload.	Gazetted).						

Educational and other qualifications required for direct recruitments		Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made (11)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Promotion:	` ′	` /
Promotion: Technician in Level-4 (Rs. 25500-81100) of the pay matrix and with ten years of regular service in the grade; and have successfully completed two to four weeks training in relevant subject as sponsored by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of:- (i) Deputy Director General (Public Health) -Chairman (ii) Director (Administration and Vigilance) -Member (iii) Deputy Director (Administration) -Member (iv) Director, BCG Vaccine Laboratory - Member	Not necessary.
considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A-12018/01/2011-EPI)]

G. K. PILLAI, Under Secy.